मेल बैलेट पर ट्रंप प्रशासन की कोशिश नाकाम

राष्ट्रपति की डाक मतपत्र नियम बदलने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

वॉशिंगटन, 15 सितम्बर. (एजेंसी) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन की उस योजना को रोक दिया, जिसके तहत डाक मतपत्रों की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाने थे.

अदालत ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि सरकार इस मामले में अंतिम सुनवाई तक अपनी दलीलों को साबित करने की स्थिति में नहीं दिख रही है. हालांकि आदेश में न्यायाधीशों के मतों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई. ट्रंप प्रशासन ने डाक सेवा के माध्यम से भेजे जाने वाले मतपत्रों के लिए नई शर्तें लागू करने की कोशिश की थी. प्रस्तावित बदलावों के तहत राज्यों को उन मतदाताओं की सूची उपलब्ध करानी थी, जिन्हें डाक से मतदान की अनुमति दी गई है. इसके बाद डाक विभाग केवल उन्हीं मतदाताओं को मतपत्र पहुंचाता.

इसके अलावा प्रशासन ने मतपत्रों के लिफाफों में बदलाव और प्रत्येक मतदाता के लिए विशेष पहचान कोड वाली व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था.

कई राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे बदलाव लागू करने से मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों और मतदान अधिकार संगठनों ने अदालत में दलील दी थी कि नई व्यवस्था लागू होने से लाखों मतदाताओं के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. उनका कहना था कि कई राज्यों में पहले से मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में नियम बदलना मुश्किल होगा. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ब्रेट कैवनॉ ने अलग से टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही डाक विभाग के पास कुछ अधिकार हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के इतने करीब नियमों में बदलाव करना उचित नहीं होगा. वहीं न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने इस फैसले से असहमति जताई और प्रशासन की योजना को लागू करने के पक्ष में राय रखी. कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम सहित कई नेताओं ने फैसले का स्वागत किया. रिपब्लिकन अधिकारियों ने कहा कि चुनाव से पहले अचानक बदलाव से अव्यवस्था फैल सकती थी. यह मामला ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने डाक मतदान के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा था. इसके बाद कई राज्यों और संगठनों ने इसे अदालत में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद फिलहाल डाक मतदान की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी.

4 साल के वीजा नियम पर अदालत ने लगाई रोक

अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के विदेशी छात्रों और शोधार्थियों के लिए प्रस्तावित चार साल की वीजा सीमा वाले नियम को लागू होने से रोक दिया है. बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने यह फैसला उस समय दिया, जब अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग का नया नियम अगले ही दिन लागू होने वाला था. अदालत के फैसले से अमेरिका में पढ़ाई कर रहे और वहां शोध कर रहे हजारों विदेशी छात्रों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. ट्रंप प्रशासन ने जुलाई 2026 में करीब पांच दशक पुरानी वीजा व्यवस्था में बदलाव करते हुए विदेशी छात्रों के लिए अधिकतम चार साल की सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा था.

शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों के बीच

15 हजार करोड़ रुपए की परियोजना

660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा

नई दिल्ली, 15 सितंबर. नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किशाऊ परियोजना के लिए छह राज्यों के बीच हुआ.

इस एमओयू के माध्यम से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच पानी तथा बिजली की हिस्सेदारी तय होगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहे.

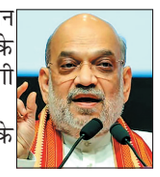

कर्तव्य भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में राज्यों के बीच औपचारिकताएं पूरी की.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सभी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समझौते पर मुहर लगे. जून में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में परियोजना को आगे बढ़ाने पर राज्यों के बीच सहमति बन गई थी, जिसे अब औपचारिक रूप दिया जा रहा है. इस एमओयू के जरिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी और बिजली की उपलब्धता के संदर्भ में बड़ा फायदा पहुंचेगा. इस करार में तय होगा कि किस राज्य को कितना पानी और बिजली का हिस्सा मिलेगा.

6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए हस्ताक्षर

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में हुए इस एमओयू पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए. किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना यमुना की प्रमुख सहायक टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है. करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 660 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन होगा.

ठाकरे की छवि खराब करने की एक राजनीतिक साजिश है : राउत राऊत

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 15 सितंबर. शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि दिशा सालियन की मौत के मामले में सीबीआई की एफआईआर में आदित्य ठाकरे का नाम शामिल करना ठाकरे परिवार की छवि खराब करने की एक राजनीतिक साजिश है.

पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पहले ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर सालियन की मौत की जांच कर चुकी है और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को इस मामले से किसी भी तरह के संबंध से बरी कर चुकी है.

जिस तरह से यह मामला अदालत में ले जाया गया और अदालत ने (मामला सीबीआई को सौंपने का) आदेश दिया, वह एक साजिश है. इसमें खास तौर पर सीबीआई जांच करने के लिए कहा गया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया है. राउत ने पत्रकारों से कहा, फिर भी मीडिया में नाम लिए जा रहे हैं.

बुलडोजर चलाने में 'हद' पार कर गए अफसर

फिर से बनाओ पूरी बिल्डिंग, 10 लाख भी दो : हाई कोर्ट

कलकत्ता, 15 सितंबर. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में दो मंजिला व्यावसायिक इमारत गिराने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने नई इमारत बनाने, तब तक मुफ्त वैकल्पिक आवास देने और 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की इमारत दोबारा बनाने का आदेश दिया है. नई इमारत तैयार होने तक प्रभावित लोगों को मुफ्त वैकल्पिक आवास देने और 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कबिता मन्ना और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि पूर्व मेदिनीपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान उनकी व्यावसायिक इमारत भी गिरा दी गई. कोर्ट कहा कि याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को बिना किसी वैध अधिकार के गिराया गया. ऐसे में संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि नई इमारत बनने और उसका कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंपे जाने तक उन्हें बिना किसी शुल्क के वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए.

अधिकारियों ने तय सीमा से आगे जाकर की तोड़फोड़ : कोर्ट

8 सितंबर को दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने में कोई परेशानी नहीं है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के निर्माण को तोड़कर अपनी सीमा से आगे कार्रवाई की.

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पर विवाद

यह विवाद पूर्व मेदिनीपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा था. याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय ग्राम पंचायत से स्वीकृत नक्शा हासिल करने के बाद दो मंजिला व्यावसायिक इमारत बनाई थी. दूसरे याचिकाकर्ता का कारोबार भी इसी परिसर से चलता था.

ईरान युद्ध में अमेरिकी ठिकानों की हालत खराब

वॉशिंगटन, 15 सितम्बर (एजेंसी). ईरान के साथ हुए युद्ध में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का अब आधिकारिक आकलन सामने आया है.

ईरानी हमलों ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की सैकड़ों इमारतों और अन्य ढांचों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया. रिपोर्ट में 28 फरवरी से 30 जून के बीच हुए नुकसान का ब्यौरा दिया गया है. ईरानी हमलों का असर कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, ओमान और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंचा. इन हमलों के कारण अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अपने सैनिकों, सैन्य संसाधनों और भंडारण सुविधाओं की तैनाती में बदलाव करना पड़ा. अमेरिकी रक्षा विभाग के महानिरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी सेना और उसके सहयोगी समूहों ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया. लगातार हमलों के बीच अमेरिकी सेना को कुछ सुविधाओं और संसाधनों को दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ा. इससे सैन्य अभियानों के संचालन और संसाधनों की तैनाती पर भी असर पड़ा. रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य ढांचे को हुए नुकसान के साथ-साथ उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है.

यूसीसी बिल संसद में लाकर दिखाएं

उमर ने राज्यों के जरिए कानून बनाने पर उठाया सवाल

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर, 15 सितम्बर. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को प्रस्तावित यूसीसी बिल को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधेयक को संसद में लाया जाना चाहिए. जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकार के पास इसे पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या है या नहीं.

इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार की विदेश नीति को सही ठहराते हुए कहा कि हमें इसके लिए किसी दूसरे मुल्क से, विदेश से प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं है. अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस इस मुद्दे पर पहले ही अपना बयान जारी कर चुकी है. ऐसे मामलों में कानून बनाने का अधिकार संसद का है. राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का फैसला अलग-अलग राज्यों के स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए. अगर आपके पास संख्या है तो इसे संसद में लाएं. अलग-अलग राज्यों के जरिए इसे क्यों लागू किया जा रहा है. एनडीए के सभी सहयोगी इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हैं.. बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विरोध का हवाला देते हुए कहा, 'अगर उनके अपने लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो वे इसे पूरे देश में लागू करने की बात कैसे कर सकते हैं.

भारतीय ब्लॉगर को गिरफ्तारी की धमकी

नई दिल्ली. अफगानिस्तान घूमने गई केरल की यात्रा ब्लॉगर अरुणिमा ने बामियान में अपने साथ हुई एक घटना का वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिक्र किया है. उनका दावा है कि स्थानीय अधिकारियों ने अकेले यात्रा करने पर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी. अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि महिला बिना पुरुष साथी या मार्गदर्शक के यात्रा नहीं कर सकती. वह शाम करीब सात बजे बामियान पहुंचीं. वहां अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट, वीजा और यात्रा अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की. इसी दौरान उन्हें बताया गया कि उन्होंने स्थानीय नियम का उल्लंघन किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

शेख हसीन को बड़ा झटका

आवामी लीग के 7 बड़े नेताओं को मौत की सजा

ढाका, 15 सितंबर. बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय अधिकरण ने 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सात वरिष्ठ नेताओं को मौत की सजा सुनाई है. इनमें पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री ओबैदुल कादर भी शामिल हैं. न्यायमूर्ति नजरुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली ट्रिब्यूनल-2 ने यह फैसला सुनाया. पीठ में न्यायमूर्ति मो. मंजुरुल बशिद और न्यायमूर्ति नूर मोहम्मद शाहरीयार कबीर भी शामिल थे. अदालत ने कहा कि आरोप साबित हो गए हैं, इसलिए सबसे बड़ी सजा दी गई है. बताया जा रहा है कि सभी सात आरोपी फरार हैं. यानी देश से बाहर हैं. उनकी अनुपस्थिति में कोर्ट में मुकदमा चला. जुलाई-अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ चले छात्र आंदोलन के दौरान इन नेताओं पर हत्या, हिंसा भड़काने, उकसाने और साजिश रचने के आरोप थे. अभियोजन पक्ष का कहना है कि आंदोलन को दबाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, युवा संगठन और छात्र संगठन के लोगों का इस्तेमाल किया गया.

राजपाल को आखिरी मौका

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस के पुराने मामलों में जेल जाने से बचने का आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बकाया रकम चुकाने के लिए दो हफ्ते का समय है. अगर इस दौरान ठोस प्रस्ताव नहीं दिया गया और 2 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा नहीं किए गए, तो उन्हें सजा काटनी पड़ सकती है.

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड
(कौशल विकास संचालनालय म.प्र.)
क्र./एमपीएसएसडीईजीबी/प्रवेश/2026/5074 भोपाल, दिनांक : 15.09.2026

म.प्र. की आईटीआई में प्रवेश 2026 हेतु
"पहले आओ पहले पाओ" राउण्ड में प्रवेश पुनः प्रारंभ

म.प्र. स्थित शासकीय एवं प्रायवेट आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल **www.dsd.mp.gov.in** पर **"प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2026"** पर जाकर रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन में त्रुटिसुधार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिये **www.dsd.mp.gov.in** पर देखें।

स. क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	दिनांक
1.	**"पहले आओ पहले पाओ"** राउण्ड के अंतर्गत संस्थावार/व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	15.09.2026
2.	**"पहले आओ पहले पाओ" राउण्ड**	15.09.2026 से 22.09.2026
	• नवीन रजिस्ट्रेशन/च्वाइस फिलिंग/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल प्रारंभ।	
	• कैंडिडेट स्वेच्छा से किसी 01 आईटीआई के किसी 01 ट्रेड की च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे।	
	• समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को प्रवेश हेतु च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य है।	
	• च्वाइस लॉक करने के पश्चात संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः कैंडिडेट को सावधानीपूर्वक आईटीआई/व्यवसाय का चयन करना चाहिए।	
	• च्वाइस फिलिंग करने के पूर्व आईटीआई में व्यवसायवार रिक्त सीटों की संख्या अवश्य जाँच कर लेवें।	
	• कैंडिडेट को प्रवेश के लिए रु. 50 का भुगतान कर च्वाइस लॉक करना होगा, तत्पश्चात अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर संबंधित आईटीआई में प्रवेश हेतु समस्त दस्तावेज की मूल प्रति एवं 02 सेट फोटोकॉपी सहित पहुँचकर वेरिफिकेशन उसी दिवस करवाना होगा।	
	• वेरिफिकेशन के पश्चात प्रवेश फीस का भुगतान कर प्रवेश स्लिप प्रिंट कर आईटीआई में जमा करना होगा।	
	• यदि कैंडिडेट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उनका अलॉटमेंट संस्था द्वारा अगले कार्यालयीन दिवस में दोपहर 01 बजे के पश्चात निरस्त कर रिक्त सीट अनुसार अन्य आवेदक को प्रवेश दिया जा सकेगा।	

आवेदकों के लिये महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नानुसार हैं :-
- आईटीआई में महिलाओं के लिये प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी की गई है।
- समस्त व्यवसायों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश शुल्क को दो किश्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है।
- आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में प्रवेश की अधिक जानकारी के लिये नजदीकी शासकीय आईटीआई के हेल्पडेस्क पर अवश्य संपर्क करें। आईटीआई में प्रवेश फार्म भरने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
- आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रिक्त सीटों के किसी 01 आईटीआई के 01 व्यवसाय के लिये रु. 50/- भुगतान करके च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
- **प्रवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करें - फोन नं. 9220407724, 9220407725, 9220407726, ई-मेल- mpitisupport@gmail.com**

म.प्र. माध्यम/128064/2026 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

हस्तियों के ट्वीट

भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि कुछ महान हस्तियाँ समय की सीमाओं से परे होती हैं. कुछ धुनें पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं. और कुछ कहानियाँ सुनाए जाने के लिए सही पल का इंतज़ार करती हैं. आज, उस सफर की शुरुआत हो रही है और यह सचमुच बहुत सम्मान की बात है. टाइटल और फर्स्ट लुक, कल शाम 5:15 बजे.

महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि जब एक भारतीय तीरंदाज को इतिहास रचने के लिए एक सटीक तीर की जरूरत थी, तो उन्होंने एकदम सही 10 का स्कोर किया... धीरज बोम्मादेवरा तीरंदाजी वर्ल्ड कप फाइनल में रिकर्व टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए. लेकिन शायद यहाँ इससे भी बड़ी कहानी है. पिछली एशियन चैंपियनशिप में भारत ने कोरिया से ज्यादा छह गोल्ड मेडल जीते थे.

एक नजर में

जेपीएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर रोक जारी

रांची. झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को राहत बरकरार है. राज्य सरकार के नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक जारी है मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. जेपीएससी, सीडीपीओ और एफसीसी नियुक्ति के मामले में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है. सरकार की ओर से सीआइडी की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने इसको स्वीकार करते हुए 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

शुभेंदु ने अपनी से नागचंद्र की मां को उतारा

कोलकाता. बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी. पूर्व मेदिनीपुर जिले की हाईप्रोफाइल नंदीग्राम सीट सीट से भाजपा ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट से शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है. इधर, हासीरानी रथ समर्थकों के साथ विशाल जुलूस निकालकर मंगलवार को ही नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे. नामांकन के बहाने भाजपा नंदीग्राम में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है. दोनों सीटों पर छह अक्टूबर को उपचुनाव है. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है. विदित हो कि बंगाल में मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु के नौ मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण से दो दिन पहले उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र में पेश होगा समान नागरिक संहिता बिल

- न्यायमूर्ति रंजना की अध्यक्षता वाली समिति तैयार कर रही सिफारिशें

नवभारत न्यूज़

मुंबई, 15 सितम्बर। महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करने की योजना बना रही है. नागपुर में होने वाले इस सत्र में विधेयक लाने की तैयारी ऐसे समय में हो रही है, जब एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार वाले 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर समिति गठित की है और समिति इस विषय पर अपनी सिफारिशें तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट मिलते ही सरकार लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
कॉर्पोरेट मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003

मध्यस्थ का पैनल में शामिल किया जाना

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने "AAI से जुड़े कानूनी मामलों, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से पैदा होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ (Arbitrator) की नियुक्ति (Empanelment)" के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म AAI की आधिकारिक वेबसाइट पर 10.09.2026 सुबह 09:30 बजे से 09.10.2026 शाम 06:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। योग्यता के मानदंडों और नियुक्ति (empanelment) से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.aai.aero → Career → Recruitment Dashboard पर जाएं।

cbc03111/11/0007/2627

कार्यालय नगरपालिका परिषद वारासिवनी, जिला बालाघाट

क्रमांक /2573 / रा.शा./न.पा.प. / 2026 ई-मेल : cmo.warasconi.mpurban@gmail.com वारासिवनी, दिनाँक 09/09/2026

।। दुकानों के अन्तरण किये जाने सूचना ।।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगरपालिका परिषद वारासिवनी जिला बालाघाट द्वारा विकसित किये जा रहे वार्ड क्रमांक 10 सी.एम.ओ. क्वार्टर में निमार्णाधीन कॉम्पलेक्स में भू-तल की दुकानों का अन्तरण "मध्य प्रदेश नगर पालिका अचल सम्पत्ति का अन्तरण नियम-2016" तथा संशोधित नियम 04 मई 2021 में दिये गये शर्तों के अधीन 30 वर्ष की लीज पर किये जाने हेतु लम्प सम्प (उच्चतम दर) आधार पर ऑन लाईन निविदा बुलाई जा रही है निविदा का विस्तृत विवरण https://www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदादाता जो वेबसाईट में पंजीकृत है इस निविदा में दरें प्रस्तुत कर सकते है। अंतरण से संबंधित नियम, शर्तों एवं आरक्षण से संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण कार्यालयीन दिवस में राजस्व शाखा में देखी जा सकती है। आरक्षित दुकान में भाग लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विवरण निम्नानुसार है :-

स्थल :- वार्ड क्रमांक 10 सी.एम.ओ. क्वार्टर में निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स में भू-तल की दुकानें।

टेण्डर क्रं.	दु. क्रं.	साईज (वर्गमीटर में)	निर्धारित प्रीमियम (रुपए में)	वर्षिक भू-भाटक / किराया	अमानत राशि (रुपए में) 10 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपए में)	आरक्षण की स्थिति
2026_UAD_536030_1	01	18.72 Sqm	8,31,671	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	83,167/-	2,000/-	अनुसूचित जाति
2026_UAD_536031_1	02	18.72 Sqm	8,31,671	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	83,167/-	2,000/-	अनुसूचित जाति
2026_UAD_536032_1	03	18.72 Sqm	8,31,671	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	83,167/-	2,000/-	अनारक्षित
2026_UAD_536033_1	04	18.72 Sqm	8,31,671	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	83,167/-	2,000/-	अनारक्षित
2026_UAD_536034_1	05	18.72 Sqm	8,31,671	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	83,167/-	2,000/-	अन्य पिछड़ा वर्ग
2026_UAD_536035_1	06	18.72 Sqm	8,31,671	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	83,167/-	2,000/-	अनुसूचित जनजाति
2026_UAD_536036_1	07	15.97 Sqm	7,09,497	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	70,949/-	2,000/-	विधवाओं हेतु
2026_UAD_536037_1	08	15.97 Sqm	7,09,497	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	70,949/-	2,000/-	दिव्यांगों हेतु
2026_UAD_536038_1	09	15.97 Sqm	7,09,497	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	70,949/-	2,000/-	अनारक्षित
2026_UAD_536039_1	10	15.97 Sqm	7,09,497	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	70,949/-	2,000/-	अनारक्षित
2026_UAD_536040_1	11	15.97 Sqm	7,09,497	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	70,949/-	2,000/-	अनारक्षित
2026_UAD_536041_1	12	15.97 Sqm	7,09,497	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 01 प्रतिशत	70,949/-	2,000/-	अनारक्षित

निविदा की शर्तें :-
1. प्रत्येक निविदाकार शासन द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकृत प्रणाली के पोर्टल की बेबसाईट https://www.mptenders.gov.in में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं जिस नाम से आई.डी. होगी उसी नाम से निविदा ऑफर प्रस्तुत किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र की खरीदी ऑन-लाईन बेबसाईट https://www.mptenders.gov.in में ऑन लाईन पेमेन्ट एवं पोर्टल सर्विस चार्ज के द्वारा दिनांक 15/09/2026 समय 11:00 बजे से दिनांक 01/10/2026 समय 5.30 बजे तक खरीदे जा सकते हैं।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अमानत राशि ऑन-लाईन पेमेन्ट द्वारा किया जावेगा।
4. निविदा दस्तावेज में पेन कार्ड, आधार कार्ड, निविदा आवेदन पत्र, अमानत राशि एवं निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र (200/- के स्टाम्प पर) जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षित दुकानों के लिये उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समस्त निविदा प्रपत्रों में निविदाकार को डिजीटल हस्ताक्षर करना होगा।
6. निविदा ऑन-लाईन जमा करने की दिनांक 15/09/2026 समय 11:00 बजे से दिनांक 01/10/2026 समय 5.30 बजे तक हैं।
7. निविदा फार्म खोलने की दिनांक 05/10/2026 समय 2:00 से हैं।
8. निविदा में संशोधन केवल बेबसाईट पर देख सकते है। अखबारों में इसका प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद वारासिवनी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)